सं.2/5/2017-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

5 मार्च, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मकान किराया भत्ता की स्वीकार्यता के लिए सरकारी आवास के लिए आवेदन करने और 'आवास न होने का प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करने की शर्तों में छूट।

इस विभाग के दिनांक 25.02.1977 के का.ज्ञा.सं. 11011/1/ई.II(बी)/75 के पैरा 1(1) के साथ पठित दिनांक 27.11.1965 के का.ज्ञा.सं. 2(37)-ई.II(बी)/64 के पैरा 4(क) में यथा निहित मकान किराया भत्ता की स्वीकार्यता के लिए सरकारी आवास के लिए आवेदन करने और 'आवास न होने का प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करने की शर्तों की समीक्षा के लिए इस विभाग में अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं।

2. इस मामले पर विभाग में विचार किया गया है और इस विभाग के दिनांक 25.02.1977 के का.ज्ञा.सं. 11011/1/ई.II(बी)/75 के पैरा 1(1) के साथ पठित दिनांक 27.11.1965 के का.ज्ञा.सं. 2(37)-ई.II(बी)/64 के पैरा 4(क) का अधिक्रमण करते हुए और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिए जाने से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा राष्ट्रीय परिषद के स्टाफ पक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि संपदा निदेशालय द्वारा नियंत्रित सामान्य पूल रिहायशी आवास (जीपीआरए) से संबंधित मामलों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता का पात्र बनने के लिए सरकारी आवास के लिए आवेदन करने और 'आवास न होने का प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करने की शर्तों में सभी स्थानों के लिए छूट दी जाती है।

3. ऐसे मंत्रालय/विभाग, जिनके पास अपने कर्मचारियों के लिए जीपीआरए के अलावा पृथक आवास पूल हैं, जहां भी संभव हो, इन प्रावधानों को अपना सकते हैं।

4. ये आदेश इनके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

निर्मला देव

(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों आदि को मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रति, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।